एस.आई. पेपर लीक केस के मास्टर माइंड के मुख्य सहयोगी को जमानत मिली

अदालत ने कहा, एस.ओ.जी. परीक्षा केन्द्र पर आरोपी की उपस्थिति साबित नहीं कर पाई

- राजस्थान हाई कोर्ट ने मास्टर माइंड यूनिक भांभू के मुख्य सहयोगी शिवरतन मोठ को जमानत देते हुए कहा कि परीक्षा केन्द्र पर याचिकाकर्ता की ड्यूटी का कोई सबूत पेश नहीं किया गया।
- शिवरतन मोठ के वकील ने कहा, याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी है, गत एक साल से जेल में है। मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

जयपुर, 28 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड यूनिक भांभू के सहयोगी बताए जा रहे शिवरतन मोठ को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस गणेश राम मीणा ने ये आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एसओजी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित हो कि याचिकाकर्ता परीक्षा सेंटर पर मौजूद था। अदालत ने कहा कि एसओजी ने याचिकाकर्ता की भूमिका को लेकर सह आरोपी के बयान और परीक्षा के बाद यूनिक भांभू से फोन पर बात करने को लेकर ही जानकारी पेश की है। परीक्षा केन्द्र पर याचिकाकर्ता की ड्यूटी के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही ऐसी कोई वीडियोग्राफी पेश की गई, जिससे साबित हो कि याचिकाकर्ता पेपर लीक होने वाले परीक्षा सेंटर पर मौजूद था। इसके अलावा, मामले में पूर्व में ही आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित होगा।

जमानत याचिका में अधिवक्ता वेद प्रकाश ने बताया कि एसओजी याचिकाकर्ता को यूनिक भांभू का सहयोगी बताते हुए स्कूल संचालक राजेश खंडेलवाल से मिलकर उसे परीक्षा सेंटर में एंट्री कराना बता रही है, जबकि एसओजी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे साबित हो की याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद था। याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी है और वह करीब एक साल से जेल में है। मामले में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि सह आरोपी राजेश खंडेलवाल की ओर से दी गई जानकारी से पता चलता है कि याचिकाकर्ता पेपर लीक के अपराध में शामिल था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने भी उस स्थान की पहचान की है, जहां वह मौजूद था। वहीं, कॉल डिटेल से भी याचिकाकर्ता के यूनिक भांभू से संपर्क की बात साबित होती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

त्रिपुरा में 15 बंगलादेशी नागरिक और तीन भारतीय दलाल गिरफ्तार

- इनमें तीन महिलाएं, तीन पुरुष व सात बच्चे शामिल हैं।

अगरतला, 28 फरवरी। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में कैलाशहर के सीमावर्ती गांवों में घुसपैठ के खिलाफ चलाये गये अभियान में तीन महिलाओं, तीन पुरुषों और सात बच्चों समेत, 13 बंगलादेशी नागरिकों तथा तीन भारतीय दलालों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को यहां बयान जारी करके कहा कि सभी बंगलादेशी मौलवीबाजार, सुनामगंज, नेत्रगंज, नेत्रोकोना और बारिसल जिलों के निवासी हैं, जबकि भारतीय दलालों की पहचान असम के सिलचर के काजल दास तथा त्रिपुरा में उनाकोटी के अजीत दास और धलाई के प्रसनजीत देवनाथ के रूप में की गयी है। सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुरुवार रात अगरतला रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया।

रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकता है

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सरकारी स्कूल रोहिंग्या बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं तो वे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

नई दिल्ली, 28 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि रोहिंग्या बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं और अगर उन्हें मना किया जाता है, तो वे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने एक याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) कार्ड धारक रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

शीर्ष कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि बच्चे पहले सरकारी स्कूलों से संपर्क करें। अगर उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है, तो वे हाईकोर्ट जा सकते हैं। रोहिंग्या मानवाधिकार पहल के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि इस आदेश से 500 रोहिंग्या छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में प्रवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। गोंसाल्विस ने कहा, मैं 2018 से इस मुद्दे के लिए लड़ रहा हूं और और इस आदेश से सीधे 500 छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

बेंच ने कहा कि उन्होंने एक और जनहित याचिका पर इसी तरह का आदेश पहले पारित किया था। कोर्ट ने 12 फरवरी को कहा था कि किसी भी बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में भेदभाव नहीं होगा। इस याचिका में केन्द्र और दिल्ली सरकार को रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन शरणार्थियों के निवास क्षेत्रों के बारे में जानकारी मांगी थी।

31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को यह बताने के लिए कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थी शहर में कहां बसे हुए हैं और उनके लिए उपलब्ध सुविधाएं क्या हैं। गोंसाल्विस ने कहा था कि एनजीओ ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंची की मांग की थी, क्योंकि आधार कार्ड की कमी के कारण उन्हें यह सुविधा नहीं मिल रही थी।गोंसाल्विस ने बताया था कि रोहिंग्या शरणार्थी शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और खजूरी खास क्षेत्रों में रह रहे हैं। शाहीन बाग और कालिंदी कुंज में वे झुग्गियों में रह रहे हैं, जबकि खजूरी खास में वे किराये के घरों में रह रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने यह समझने के लिए सवाल पूछे थे कि क्या वे शिविरों में रह रहे हैं क्योंकि राहत की प्रकृति जनहित याचिका में उल्लिखित से भिन्न होगी।

'12 साल सत्ता में रही आपकी पार्टी, लेकिन विधानसभा के नियम नहीं पता हैं'

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेन्द्र गुप्ता ने आतिशी के पत्र के जवाब में कहा

- पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने पर स्पीकर से सवाल किया था।

नयी दिल्ली, 28 फरवरी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पत्र का जवाब देते हुए हैरानी जतायी है कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वह सदन के नियमों से अनभिज्ञ हैं। गौरतलब है आतिशी ने गुप्ता को पत्र लिखकर 25 फरवरी को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को निलंबित किये जाने और उसके बाद उन्हें विधानसभा परिसर में राष्ट्रिपता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दिये जाने पर सवाल उठाया था।

इसके जवाब में गुप्ता ने आतिशी को पत्र लिखकर कहा कि 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है और वह सदन के नियमों से अनभिज्ञ है। गुप्ता ने आतिशी को लिखे पत्र में कहा है, आपका पत्र मिला, जिसमें आपने विपक्षी विधायकों के निलंबन और उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं दिये जाने पर आपत्ति जतायी है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि विपक्ष सदन में कार्य संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ है, विशेषकर तब जब यह राजनीतिक दल पिछले 12 सालों तक सत्ता में था।

उन्होंने लिखा, विधानसभा के नियमों में सदन के परिसीमन को व्यापक तौर पर परिभाषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा के नियमों के अनुसार सदन के परिसीमन में विधानसभा, लॉबी, गैलरी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कक्ष, समिति कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, विभिन्न दलों के कक्ष, विधानसभा सचिवालय द्वारा उपयोग किये जा रहे कक्ष, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को नियंत्रण में आने वाले सभी परिसर तथा इन तक जाने वाले मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा, नियम 277, बिंदु 3(डी) स्पष्ट रूप से कहता है. जो सदस्य सदन की सेवा से निलंबित किया गया है, उसे सदन के परिसर में प्रवेश करने और सदन एवं समितियों की कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

'बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ योजना के 455 करोड़ रु. कहां गए?'

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया व कहा कि सरकार देश की बेटियों को जवाब दे।

नयी दिल्ली, 28 फरवरी। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार की महत्वपूर्ण बेटी बचाओ बेटी पढ़ ाओ योजना के 455 करोड रुपए गायब हो गए हैं और सरकार को इस बारे में देश की बेटियों को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत हुए इस खुलासे पता चलता है कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ ाओ योजना को लेकर कितना गंभीर है। इससे साबित होता है कि सरकार सिर्फ लुभावने नारे देती है और हकीकत उसके विपरीत होती है। खड़गे ने कहा,"आरटीआई से ख़ुलासा हुआ है कि मोदी सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए ग़ायब हो गए हैं। आरटीआई के ताज़े खुलासे से मोदी सरकार के झूठ की कलई एक बार फ़िर खुल गई है।

हिमाचल सरकार ने योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा मांगा

हिमाचल सरकार भारी आर्थिक संकट से जूझ रही है, योजनाओं के लिए भी पैसा नहीं है

- भाजपा ने राज्य सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की और कहा, मंदिरों के पैसे से अपनी फ्लैशशिप योजना चलाना चाहती है सरकार।

शिमला, 28 फरवरी। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार के पास अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं है। इसी के चलते अब सरकार ने प्रदेश के बड़े मंदिरों से पैसा मांगा है। सरकार की तरफ से इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले मंदिरों को पत्र लिखा है और दो योजनाओं के लिए पैसे देने का आग्रह किया है। हालांकि, मंदिरों से पैसा मांगने पर अब सुक्खू सरकार घिर गई है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं।

दरअसल, 29 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंदिर ट्रस्ट को एक पत्र लिखा था और मंदिर कमेटियों से जरूरतमंद बच्चों की मदद का आग्रह किया है। सरकार की अपील पर डीसी ने मंदिर न्यास को आर्थिक मदद करने के लिए पत्र जारी किए हैं। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना की मदद सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों के ट्रस्ट भी करेंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंदिर कमेटियों से जरूरतमंद बच्चों की मदद का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि करोड़ों रुपये की आय वाले प्रदेश के 35 बड़े मंदिरों की जिला प्रशासन देखरेख करता है। सरकार की अपील पर उपायुक्तों ने मंदिर न्यास को आर्थिक मदद करने के लिए पत्र जारी कर दिए किए हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि सरकार अब मंदिरों से अपनी सुख आश्रय योजना के लिए पैसे की मांग कर रही है और यह सीधे तौर पर नहीं बल्कि जिला प्रशासन द्वारा इस डोनेशन की मांग की जा रही है। नंदा ने कहा कि 35 मंदिरों से डोनेशन की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है और हिंदू विरोधी बयान देती रहती है। दूसरी तरफ मंदिरों से पैसा लेकर सरकार की फ्लैगशिप योजना चलाना चाह रही है। हिमाचल में सरकारी अधिग्रहण के तहत 35 मंदिर आते हैं। प्रदेश का सबसे सबसे अमीर मंदिर जिला ऊना में मां चिंतपूर्णी का है। यहां मंदिर के खजाने के तहत एक अरब रुपए की बैंक एफडी और एक क्विंटल से अधिक सोना है। प्रदेश में कई बड़े शक्तिपीठ हैं, जिनका संचालन प्रदेश सरकार करती है। बिलासपुर जिले में स्थित शक्तिपीठ नैनादेवी मंदिर के खजाने में 11 करोड़ से अधिक कैश, 58 करोड़ से अधिक की एफडी है। मंदिर के खजाने में 1 क्विंटल 80 किलो सोना है और 72 क्विंटल से ज्यादा चांदी है।

तेलंगाना टनल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) के वैज्ञानिक भी मौके पर पहुंचे हैं। वे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) की मदद से मलबे में दबे मजदूरों ढ़ूंढ ने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी मजदूर के जीवित मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। नागरकुरनूल के एसपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि मलबा हटाने और लोहे की छड़ों की कटिंग का काम लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से मलबा साफ करने और टनल के पानी को बाहर निकालने का काम चल रहा है। शुक्रवार सुबह 7 बजे एक टीम टनल में गई।(रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के 600 के करीब कर्मी जुटे हैं।

'अनुसूचित जाति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नैशनल कमीशन फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना इसलिये की गई थी कि यह अनुसूचित जातियों के शोषण के विरूद्ध कवच का काम कर सके तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा कर सके।

'नकद मानदेय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑफिसर भर्ती-2023 में भाग लिया। इससे पूर्व, उसने सीएमएचओ कोटा के अधीन काम किया था और इसकी एवज में उसे मानदेय नगद दिया गया। उसे अनुभव प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन भर्ती में बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया। इस कारण वह भर्ती की वरीयता सूची से बाहर हो गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि केवल मानदेय नगद मिलने के आधार पर उसे भर्ती में बोनस अंक का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे अनुभव के बोनस अंक का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि काम के बदले नगद मानदेय मिलने पर भी याचिकाकर्ता बोनस अंक प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड के चमोली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को बचाने के लिए खोज और बचाव अभियान युद्धस्तर पर लगातार जारी है, हालांकि क्षेत्र में हो रहे छोटे स्तर के लगातार हिमस्खलनों के कारण बचाव कार्य धीमी गति से, लेकिन अधिकतम सतर्कता के साथ किया जा रहा है।

सीमा सड़क संगठन (जीआरईएफ) जोशीमठ और माणा के बीच की सड़क को साफ करने में जुटा हुआ है, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। साथ ही, जोशीमठ से अतिरिक्त चिकित्सा सहायता और संसाधनों को बिना किसी अतिरिक्त विलंब के माणा भेजा जा रहा है।

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बीते 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। केदारनाथ धाम, त्रियुगीनारायण, तुंगनाथ, चोपता सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है।

मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत, अन्य जिलों में बारिश और बर्फबारी की स्थिति अभी बनी रहेगी।

तमिलनाडु के मछुआरे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर

- मछुआरे श्रीलंका की नौसेना द्वारा अपने साथियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं
- रामेश्वरम में मछुआरा संघों के नेताओं ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया तथा केन्द्र सरकार से समस्या का समाधान करने का आग्रह किया।

रामनाथपुरम, 28 फरवरी। तमिलनाडु के मछुआरों को लगातार हिरासत में लिये जाने और श्रीलंकाई नौसेना की ओर से उनकी नावों को जब्त किये जाने के विरोध में सैकड़ों मछुआरों और उनके परिवारों ने शुक्रवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।

मछुआरों ने केन्द्र सरकार से पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने के अधिकार के मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। रामेश्वरम, पंबन और मंडपम तथा अन्य तटीय बस्तियों की महिलाओं सहित, मछुआरों ने रामेश्वरम के थंगाचिमदम में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।

रामेश्वरम में विभिन्न मछुआरा संघों के नेताओं ने भूख हड़ताल आंदोलन को संबोधित करते हुए केन्द्र से इस मुद्दे को श्रीलंकाई सरकार के समक्ष उठाने और उनकी समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रीलंकाई नौसेना तमिलनाडु के मछुआरों पर हमला करने, उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी नावों को जब्त करने में संयम बरते। उन्होंने कहा कि जब तक कोई केन्द्रीय मंत्री उनसे मिलने नहीं आता और यह आश्वासन नहीं देता कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तमिलनाडु तटीय मशीनीकृत नौका मछुआरा संघ के सचिव पी. शेषु राजा ने कहा कि श्रीलंकाई समुद्री बलों द्वारा निर्दोष मछुआरों को लगातार कैद किये जाने से मछली पकड़ने के उद्योग पर निर्भर सैकड़ों मछुआरों और अन्य श्रमिकों की आजीविका को बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना ने इस साल अब तक तमिलनाडु के रामेश्वरम, नागपट्टिनम और पुडुकोट्टई जिलों से 131 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और 18 नावों को जब्त किया है। अकेले 2024 में, श्रीलंकाई समुद्री बलों ने 554 मछुआरों को पकड़ा और 72 नावों को जब्त किया तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। पिछले 11 वर्षों में मशीनीकृत और देशी नावों सहित, 500 से अधिक नावों को जब्त किया गया और श्रीलंकाई सरकार ने एक भी नाव को नहीं छोड़ा। दक्षिण भारत के प्रमुख समुद्री खाद्य केन्द्रों में से एक, रामेश्वरम के मशीनीकृत नाव मछुआरों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल आज लगातार पांचवें दिन में प्रवेश कर गयी।

'चुनाव के लिए ''डीलिमिटेशन''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विभिन्न गतिविधियों में जुट जाते हैं, जैसे जनता के कल्याण एवं भलाई के लिये, उसकी सहायता करना, हमारी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने तथा पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार करना।"

इस बार अपने जन्मदिन पर, उन्होंने पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को राज्य के सामने खड़ी दो बहुत बड़ी चुनौतियों का स्मरण कराया- "भाषा, जो हमारी लाइफ लाइन है, के लिये लड़ाई तथा परिसीमन, जो हमारा अधिकार है, के लिये संघर्ष करना।" उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे इस लड़ाई का असली उद्देश्य जनता तक पहुँचायें, क्योंकि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन राज्य के आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधा प्रभावित करेगा।

स्टालिन ने जोर देकर कहा, "आप इस संदेश को जनता तक ले जायें आप में से प्रत्येक को अपने राज्य के बचाव के उठना ही चाहिये। हम इस सैद्धांतिक लड़ाई की अगुआई करेंगे तथा पूरे देश को रास्ता दिखायेंगे।

उन्होंने दावा किया कि एकात्मता की आवाजें कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना तथा अन्य राज्यों से उठ रही हैं तथा इस प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुये, केन्द्र ने जोर देते हुये कहा है कि वह राज्यों पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "लेकिन, उनकी सारी कार्यवाहियाँ कुछ और ही संकेत दे रही हैं।"

स्टालिन ने कहा कि त्रिभाषा-नीति के चलते, तमिलनाडु के वाजिब फंड पहले ही रोक लिये गये हैं। इसी प्रकार, वे दावा कर रहे हैं कि वे तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम नहीं करेंगे, लेकिन वे यह आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं कि अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व गैर-आनुपातिक तरीके से नहीं बढ़ाया जायेगा। दरअसल, इस मुद्दे पर स्टालिन की अधीरता का कारण केन्द्र की खामोशी है। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों के साथ बात करने की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की है, जिससे दक्षिण की राजनैतिक पार्टियों और सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके कोई समाधान तलाश जाये तथा उनकी उन सच्ची चिंताओं का हल निकाला जाये,जो निरंतर अभिव्यक्त हो रही हैं।

हाई कोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं और उस समय उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता मूल वेतन के पचास फीसदी से कम था। ऐसे में उन्हें ग्रेच्युटी के तौर पर 25 लाख रुपए नहीं मिले। ऐसे में केन्द्र सरकार के 30 मई, 2024 के आदेश को 7वां वेतन आयोग लागू होने की तिथि से प्रभावी किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

भारत और ई.यू. के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमैंट का ड्राफ्ट तैयार

प्र.मंत्री मोदी और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच महत्वपूर्ण वार्ता में इस साल के अंत तक एग्रीमैंट पर मुहर लगाने पर सहमति बनी

- अमेरिका और ई.यू. के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए समूचे यूरोपियन आयोग की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली, 28 फरवरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच शुक्रवार को अहम बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रणनीतिक साझेदारी को नयी गति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बता दें कि उर्सुला वॉन डेर लेयेन 'ई यू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स' यानी समूह के 27 सदस्य देशों के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ भारत की यात्रा पर पहुंची हैं। यू.एस.ए. के साथ संबंधों में आई खटास के बीच वॉन डेर लयेन भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा भारत के विशाल बाजार तक पहुंच हांसिल करना हमारे ऐजेंडा में सबसे ऊपर है।

प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने शुक्रवार को रक्षा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही इस साल के आखिर तक यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमैंट (एफ.टी.ए.)को भी पूरा करने की बात कही गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूरोप के बीच संपर्क के मुद्दे पर कहा कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे को आगे ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- "मुझे विश्वास है कि यह गलियारा वैश्विक वाणिज्य, सतत विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजन साबित होगा। भारत और यूरोपीय संघ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर सहमत हैं।"

वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि हम भारत के साथ यूरोपीय संघ के संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने एक थिंक टैंक को संबोधित करते कहा है कि यूरोपीय संघ जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किए गए समझौतों की तरह भारत के साथ भविष्य में "सुरक्षा साझेदारी" की संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया किस तरह से खतरों से भरी हुई है। शक्ति को लेकर महाप्रतिस्पर्धा का आधुनिक संस्करण यूरोप और भारत को अपनी साझेदारी के संबंध में "पुनः कल्पना" करने का अवसर देता है। वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि भारत अपनी सैन्य आपूर्ति में विविधता लाने और नयी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मेरा मानना है कि हम अपने सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने में एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं।

ई यू एक ऐसे व्यापार समझौते पर जोर दे रहा है जो उसकी कारों, स्पिरिट, वाइन और अन्य उत्पादों के लिए बाधाओं को कम करेगा। इस बीच भारत स्वच्छ ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अधिक यूरोपीय संघ के निवेश की उम्मीद करता है। नई दिल्ली अपने स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए आसान गतिशीलता और भारत में उद्यमों के लिए उच्च निवेश पर भी जोर दे रही है।

वॉन डेर लेयेन की यात्रा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा कर रहे हैं।

'उत्तर भारत में कई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

औद्योगिकीकरण की भरपूर संभावनाएं होने के बाद भी यहां के लोग अवसरों से वंचित महसूस करते हैं। युवाओं में नशे की लत भी एक गंभीर समस्या है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की भारी मांग है। क्षेत्र का युवा महसूस करता है कि राज्य की द्विभाषा नीति की वजह से वे पड़ौसी राज्यों के युवाओं की तुलना में पिछड़ गए हैं। राज्यपाल के अनुसार, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के विद्यार्थियों को अपनी मर्जी की भाषा में पढ़ने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। लगता है, द्रमुक इसी के इंतजार में थी, पार्टी नेताओं ने राज्यपाल के बयान पर जोरदार पलटवार किया। राज्य के कानून मंत्री एस. रघुपति ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें तमिलों को उनकी भाषा के गौरव पर लैक्चर देने का कोई हक नहीं है। वे लगातार तमिल लोगों, तमिलनाडु और तमिल राज्य गीत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। उन्हें तमिलों को उनकी भाषा से प्रेम के लिए भाषण नहीं देना चाहिए। रघुपति ने कहा कि तमिलनाडु ने शिक्षा, चिकित्सा व अर्थव्यवस्था में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। इसका प्रमाण केन्द्र सरकार का डेटा है। यह उपलब्धि द्विभाषा फॉर्मूला के कारण मिली है। उन्होंने राज्यपाल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश का आरोप लगाया।

समरावता कांड में जाँच ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने जांच अधिकारी को 21 मार्च को केस डायरी सहित पेश होकर बताने को कहा है कि उन्होंने इस केस में बाकी आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान लंबित क्यों रखा हुआ है। जस्टिस वीके भारवानी ने ये आदेश दिलखुश मीणा सहित 21 ग्रामीणों की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पूर्व में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, जबकि बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी को हाजिर होकर इस संबंध में जानकारी पेश करने को कहा है। याचिका में अधिवक्ता राजेश गोस्वामी अदालत को बताया कि इस मामले में चार एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। ग्रामीणों ने उप चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया था और वे शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। इस दौरान ही उन पर स्थानीय प्रशासनिक अफसरों व पुलिस अफसरों ने दबाव बनाया और उन्हें धमकी दी। इसके साथ ही निर्दोष ग्रामीणों पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस ने अत्याचार किया। वहीं, मामले में कार्रवाई की बजाय पुलिस से उनके खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज करवा ली। इसलिए मामले की जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई से कराई जाए।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600